दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>रि.या.(सि.) 10629/2009</u>

सुरेश नंदा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री नीरज के. कौल, श्री आर.के. हांडू के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संदीप कपूर, श्री आर.एन. करंजावाला, श्री मेहूल एम. गुप्ता और श्री शिवेक त्रेहन और श्री रोनक डोनाल्ड, अधिवक्तागण

बनाम

भारतीय संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री ए.एस. चान्धिओक, श्री सचिन दत्ता के साथ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री माणिक्य खन्ना और श्री अमनदीप सिंह, प्र-1 और प्र-2 के लिए अधिवक्ता

श्री विकास पाहवा, सीबीआई के अधिवक्ता श्री विश्वजीत कुमार पात्रा के साथ स्थायी परामर्शी।

कोरमः न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को भेजा जाना है या नहीं?
3. क्या निर्णय को डायजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए?

<u>आदेश</u>

05.03.2010

परिचय

1. लगभग साढ़े तीन साल पहले, 10 अक्टूबर 2006 को, याचिकाकर्ता का पासपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दो प्राथमिकियों के पंजीकरण के अनुसरण में जब्त कर लिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद, 30 जनवरी 2008 को, पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता का पासपोर्ट परिबद्ध कर लिया गया। यह याचिका प्रत्यर्थियों को उक्त पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की मांग करती है। विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों में से एक यह है कि क्या पासपोर्ट अधिनियम 1967 ("अधिनियम") की धारा 10 (3)(ग) के तहत पासपोर्ट

अधिकारियों द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए परिबद्ध किया जा सकता है?

पृष्ठभूमि तथ्य

2. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एक अनिवासी भारतीय ("एनआरआई") है जिसका यूनाइटेड किंगडम ("यूके") में स्थायी निवास है। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। 2001 में एक टैब्लॉइड "तहलका" द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने एक जांच आयोग (सी.ओ.आई.) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पहले चरण में न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी और बाद में न्यायमूर्ति एस.एन. फुकान ने की। उक्त सी.ओ.आई. 2004 में किसी समय समाप्त हुई। इसके बाद 9 अक्टूबर 2006 को सी.बी.आई. ने दो प्राथमिकियां दर्ज कीं। पहला था प्राथमिकी सं. आर.सी.-1सी1 2006-ए0004 भारतीय नौसेना के लिए बराक-1 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 200 मिसाइलों की खरीद के मामले में रिश्वत के भुगतान से संबंधित है। दूसरा था प्राथमिकी सं. आर.सी.-1(ए)/2006-ए.सी.यू.-(वी) जो 1989-99 के दौरान रक्षा मंत्रालय को 87 बख्तरबंद वसूली वाहनों की आपूर्ति के लिए रिश्वत के भुगतान से संबंधित है। दोनों प्राथमिकियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ("पी.सी.ए".) के तहत अपराधों के लिए हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने उक्त लेन-देन में एक बिचौलिये के रूप में काम किया। पहली प्राथमिकी

में, नामित अभियुक्तों में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस, तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल श्री सुशील कुमार और याचिकाकर्ता शामिल हैं। दूसरी प्राथमिकी में, शामिल लोक सेवकों को अज्ञात बताया गया है। यह कहा गया है कि दो प्राथमिकियां दर्ज करने के बाद 10 अक्टूबर 2006 को याचिकाकर्ता से जुड़े होने के संदेह वाले विभिन्न परिसरों की तलाशी ली गई थी। हालाँकि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन याचिकाकर्ता श्री सुरेश नंदा सहित नंदा परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि वह ब्रिटेन का निवासी था और उसे वहां अपना कारोबार देखना था, इसलिए उसने अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए 2 जनवरी 2007 को विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) की अदालत में आवेदन किया। याचिकाकर्ता का आवेदन 15 जनवरी 2007 को उस अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इससे तीन दिन पहले, 12 जनवरी 2007 को, सी.बी.आई. ने याचिकाकर्ता को एक विस्तृत प्रश्नावली दी जिसमें उसे 15 जनवरी 2007 तक जवाब देने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब सीबीआई को सौंप दिया। यह कहा गया है कि संलग्न दस्तावेज अनुप्रमाणित नहीं होने के कारण सी.बी.आई. ने जवाब को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने दस्तावेजों को अनुप्रमाणित कराया और उन्हें 15 जनवरी को विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) के समक्ष पेश किया और उस

तारीख को विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) ने याचिकाकर्ता को यूके और दुबई की यात्रा करने की अनुमति देने का आदेश दिया।

4. विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) द्वारा पारित 15 जनवरी 2007 के आदेश को चुनौती देते हुए सी.बी.आई. ने इस न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 49/2007 दायर की। 5 फरवरी 2007 के एक निर्णय द्वारा, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) द्वारा पारित 15 जनवरी 2007 के आदेश को उलट दिया। यह माना गया कि प्राथमिकी में आरोप "गंभीर और चिंताजनक" थे। प्राथमिकी में कथित लेन-देन का क्रम और श्रृंखला काफी समय से फैली हुई थी। इन आरोपों की सी.ओ.आई. में जांच की गई थी। यह कहा गया था कि "हालांकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि ऐसी कार्यवाही ने कभी यह निर्धारित किया कि ऐसे आरोप निराधार या आधारहीन थे।" यह आगे देखा गया है कि "संचालन के परिमाण को ध्यान में रखते हुए चिंता (कि याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है) को हल्के में नहीं लिया जा सकता है; इसे किसी भी मामले में निराधार नहीं माना जा सकता है।" यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय ने इन सभी पहलुओं को अनदेखा करने में गलती की। यह कहा गया था कि यदि प्रतिबंधों को अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो इस तरह के प्रतिबंधों की तर्कसंगतता जांच के लिए खुली होगी,

लेकिन इस स्तर पर, प्राथमिकी 2006 में दर्ज की गई थी और केवल लगभग तीन महीने की अवधि बीतने के बाद, जांच में देरी ने “प्रत्यर्थी को इस तरह के अपूरणीय उपाय के प्रति पूर्वाग्रहित नहीं किया है जैसा कि बताया गया है।” सी.बी.आई. के आवेदन को स्वीकार करते हुए और 15 जनवरी 2007 के आदेश को अपास्त करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि "तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के मामले में प्रत्यर्थी के लिए इसे ध्यान में रखते हुए एक उचित आदेश की मांग करना हमेशा खुला है।”

5. 15 फरवरी 2007 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 3408/2007 दायर की। बाद में, मामला आपराधिक अपील सं. 179/2008 के रूप में दर्ज किया गया था। 24 जनवरी 2008 के एक आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 15 फरवरी 2007 के आदेश को रद्द करते हुए उक्त अपील का निपटारा कर दिया। प्रत्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि "यह प्रत्यर्थी के लिए खुला होगा कि वह पासपोर्ट अधिनियम, 1967 ("अधिनियम") की धारा 10 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरणों या अधिनियम की धारा 10ए के तहत प्राधिकरणों से संपर्क कर सकता है ताकि कानून के अनुसार अपीलकर्ता का पासपोर्ट जब्त किया जा सके।” सर्वोच्च

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "हम मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और यह तय नहीं कर रहे हैं कि जमानत देने की शर्त के रूप में पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है या नहीं।"

6. उपरोक्त आदेश के छह दिनों के भीतर, 30 जनवरी 2008 को मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ("सी.पी.ओ") ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"विदेश मंत्रालय

सी.पी.वी. प्रभाग

नई दिल्ली

विषय: श्री सुरेश नंदा का पासपोर्ट (सं. एफ-5600903) निलंबित

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुझे प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार करते हुए और जैसा कि मैं संतुष्ट हूं कि श्री सुरेश नंदा का पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत जब्त या जब्त किए जाने की संभावना है और जनहित में आवश्यक है और यह कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10क के तहत मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इसके द्वारा सं. एफ 5600903 वाले श्री सुरेश नंदा के पासपोर्ट को आज से प्रभावी चार सप्ताह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देता हूं।

एस.डी./- 30/1/08

(आर. स्वामीनाथन)

संयुक्त सचिव (सीपीवी) और मुख्य

पासपोर्ट अधिकारी 30.01.2008 "

7. यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को निलंबित करने वाला उपरोक्त आदेश अधिनियम की धारा 10क के तहत पारित किया गया था। यह उस आदेश की प्रत्याशा में था जिसे धारा 10(3) (ग) के तहत पारित किया जाना था। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, प्रत्यर्थी केवल अधिनियम की धारा 10(3)(ग) के तहत याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त करने की मांग कर रहे हैं।

8. 4 फरवरी 2008 को, याचिकाकर्ता के वकील ने संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) और सी.पी.ओ. को पत्र लिखकर कारणों के साथ-साथ उस सामग्री को जानने की मांग की जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का पासपोर्ट निलंबित किया गया है। 25 फरवरी 2008 को, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) और सी.पी.ओ. ने याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा कि पासपोर्ट को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को इस पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसके पासपोर्ट का निलंबन चार सप्ताह की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है।

9. 8 मार्च 2008 को सी.बी.आई. ने प्राथमिकी सं. आरसी एसी1 2008 एओओ 1 दर्ज की, जिसमें याचिकाकर्ता को एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया

था। उक्त प्राथमिकी में पी.सी.ए. की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13 (2) और भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 120-ख और धारा 201,204 और 218 के तहत अपराध करने की साजिश का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 25 मार्च 2008 को संयुक्त सचिव (सीपीवी) और सीपीओ ने याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया। यह तीसरी प्राथमिकी थी जिसमें याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में पेश किया गया था।

10. 29 अप्रैल 2008 के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को तीसरी प्राथमिकी सं. आरसी एसी1/2008/एओओ1 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। इस न्यायालय में अधिरोपित शर्तों में यह भी शामिल था कि याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट विचारण न्यायालय यानी विद्वान विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) की अदालत में जमा करना होगा और उसे विदेश यात्रा करने के लिए उस अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कहा गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने अपना पासपोर्ट विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) की अदालत में जमा कर दिया।

11. 29 मई 2008 को, याचिकाकर्ता ने अपने पासपोर्ट को जब्त करने के 25 मार्च 2008 के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण यानी विशेष सचिव (एडी और कांसुलर पासपोर्ट और वीजा), विदेश मंत्रालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 के तहत अपील दायर की।

12. 22 अगस्त 2008 को उक्त विशेष सचिव, विदेश मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। 29 दिसंबर 2008 से 8 जून 2009 तक विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन देने के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर प्रत्यर्थियों को अपना पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की मांग की।

13. अपने प्रति-शपथपत्र में सी.बी.आई. ने तर्क दिया कि 15 फरवरी 2007 के निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर दिए गए निष्कर्षों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किए गए हैं और इसलिए याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जारी करने का विरोध करने के लिए सी.बी.आई. द्वारा उन पर भरोसा किया जा सकता है। **दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड 1996 (4) एस.सी.सी. 622, जे. जयललिता बनाम भारतीय संघ (1999) 5 एस.सी.सी. 138** और **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वी. वासुदेव राव (2004) 9 एस.सी.सी. 319 के निर्णयों का उल्लेख करते हुए** यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त करना जनहित में है क्योंकि वह तीन प्राथमिकियों में अभियुक्त है, जिनमें से दो में पी.सी.ए. के तहत अपराध शामिल हैं। प्रत्यर्थियों का कहना है कि पी.सी.ए. अपराधों को सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के विश्वास को कम करने के रूप में वर्णित किया है और इसलिए, जनहित और

राष्ट्रीय हित के खिलाफ है।" जवाबी प्रति-शपथपत्र के पैरा 10, 11 और 12 में निम्नानुसार कहा गया हैः

> "10. जांच से यह भी पता चला है कि श्री सुरेश नंदा ने भारत में होटलों आदि की खरीद के लिए वर्ष 2000,2002 से 2006 में विदेशों से लगभग 400 करोड़ रुपये का अंतराज्यीय विप्रेषण भेजा था, लेकिन उन्होंने उपरोक्त राशि के स्रोतों का खुलासा नहीं किया, जो रक्षा सौदों के कमीशन/रिश्वत होने का संदेह है। उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत के साथ-साथ विदेशों में उनका क्या व्यवसाय है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक एनआरआई होने के नाते, उन्हें अपने व्यवसाय की कोई लेखा पुस्तिका/रिकॉर्ड को बनाए रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है और इस प्रकार, इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
>
> 11. जांच से पता चला है कि कथित अवधि के दौरान, श्री सुरेश नंदा और मैसर्स आई.ए.आई., इज़राइल के बीच भारत में इस कंपनी के संपर्क कार्यालय में तैनात अपने प्रतिनिधियों द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध था। श्री आर.के. जैन के साथ भी उनका सम्बन्ध था। उल्लेखनीय है कि श्री सुरेश नंदा ने तहलका की खामियों की जांच कर रहे जांच आयोग को अपदस्थ कर दिया था कि उनका मैसर्स आई.ए.आई. के साथ कभी कोई संबंध नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि श्री आर.के. जैन से उनकी मुलाकात तहलका खुलासे के बाद यानी 13.03.2001 को ही हुई थी, हालाँकि, उनके बीच हुए मोबाइल कॉल और गवाहों के बयान

से यह साबित हो गया है कि तहलका खुलासे से पहले और संबंधित अवधि के दौरान उनकी मुलाकातें हुई थी।

12. मार्च 2005 तक अंतिम रूप से अनुमोदित अधिग्रहण योजना से संबंधित रक्षा मंत्रालय के कुछ संवेदनशील और गुप्त दस्तावेज उनके सहयोगी और श्री सुरेश नंदा की एक कंपनी के निदेशक, श्री एम.वी. राव के आवास से बरामद और जब्त किए गए। इन दस्तावेजों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन दस्तावेजों की प्रतियां यू.के. में श्री सुरेश नंदा को फैक्स से भेजी गई थीं। बराक उपानन संविदा से संबंधित कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भी श्री एम.वी. राव के आवास से बरामद की गईं। इन सभी दस्तावेजों को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था।"

14. हालाँकि, सी.बी.आई. किसी भी निश्चित समय सीमा के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करती है जिसके भीतर वह जाँच पूरी होने की उम्मीद करती है। पैरा 13 में कहा गया था कि "इस मामले की जांच को अंतिम रूप देने के बारे में समय सीमा काफी हद तक एल.आर. की निष्पादन रिपोर्ट में सामग्री पर निर्भर करती है। हालांकि, इस मामले की जांच एल.आर. की निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी।" उपरोक्त परिच्छेद में "एल.आर." अनुरोध पत्र को संदर्भित करता है। सी.बी.आई. की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विकास पाहवा ने इस अदालत को सूचित किया कि एल.आर. यू.के., दुबई, जर्मनी और इज़राइल भेजे गए हैं और कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ और मिलने की उम्मीद है।

15. सी.बी.आई. को आशंका है कि चूंकि याचिकाकर्ता "न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक बहुत ही प्रभावशाली, अत्यधिक जुड़े हुए और शक्तिशाली व्यक्ति हैं", इसलिए उनके पास "विदेशों में की जाने वाली जांच में हस्तक्षेप करने, गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों या सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी क्षमता है।" यह कहा गया है कि "विदेश यात्रा याचिकाकर्ता को कथित अपराधों को कवर करने और जांच में बाधा डालने का अवसर प्रदान करेगी।" इसलिए, एल.आर. के निष्पादन तक भारत में याचिकाकर्ता की निरंतर उपस्थिति आवश्यक है और न्याय के हित में है।"

16. अपनी ओर से, भारतीय संघ ("यू.ओ.आई") ने प्रति-शपथपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आक्षेपित आदेश "पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष सामग्री पर पूर्ण विचार करने के बाद" और "पूरी तरह से दिमाग लगाने के बाद" पारित किए गए थे। यह दोहराया जाता है कि पासपोर्ट को धारा 10(3)(ङ) के तहत जब्त नहीं किया गया था, बल्कि अधिनियम की धारा 10(3)(ग) के तहत जब्त किया गया था, जो एक "अलग चरित्र का है।"

अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ

17. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. कौल, श्री अमरजीत सिंह चान्धिओक, यू.ओ.आई. की ओर से उपस्थित अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल और सी.बी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विकास पाहवा को सुना गया है।

18. श्री कौल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि ***मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एस.सी.सी. 248*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के विपरीत, तत्काल मामले में पासपोर्ट अधिकारियों ने बिना किसी वैध कारण के याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने का एक यांत्रिक अभ्यास किया है। उन्होंने अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए अधिनियम की धारा 10(3)(ग) में निहित क़ानून की भाषा को दोहराया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सी.पी.ओ. और अपीलीय प्राधिकरण दोनों ने अपने-अपने निर्णय इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 15 फरवरी 2007 के आदेश में की गई टिप्पणियों पर आधारित किए हैं, जिसे किसी भी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार उक्त निर्णय को अपास्त कर दिए जाने के बाद, पासपोर्ट अधिकारियों के पास याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त रखने के लिए उक्त निर्णय को आधार बनाने का अधिकार नहीं था। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10(3)(ग) के तहत शक्ति की प्रकृति ऐसी थी कि यह जांचने के लिए स्थिति की निरंतर समीक्षा की आवश्यकता होती है कि क्या पासपोर्ट को जब्त रखे जाने की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, पासपोर्ट को जब्त करने की आवश्यकता का

आवधिक पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए था। आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुनर्विलोकन करते समय क्या पासपोर्ट को जब्त किया जाना जारी रखा जाना चाहिए, यह सी.पी.ओ. पर निर्भर करता है कि वह उस समय अवधि का भी संकेत दे जिसके लिए पासपोर्ट को जब्त किया जाना था।

19. श्री कौल इंगित करते हैं कि भले ही यह न्यायालय प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देता है, फिर भी वह सीधे विदेश यात्रा नहीं कर सकता है। जब तक तीसरी प्राथमिकी में जमानत देने से जुड़ी शर्तें जारी रहती हैं, तब तक याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा के लिए विचारण न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह यू.ओ.आई. या सी.बी.आई. के लिए जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ एकत्र की गई विशिष्ट सामग्री के संदर्भ में इस तरह की प्रार्थना का विरोध करने का अवसर होगा। यदि, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा बताया गया है, याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने की कार्रवाई अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत की गई थी, न कि धारा 10(3) (ङ) के तहत, तो स्थिति का आवधिक पुनर्विलोकन करना आवश्यक था क्योंकि अधिनियम की धारा 10क के साथ पठित धारा 10 की योजना में पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए जब्त करने पर विचार नहीं किया गया था।

20. दूसरी ओर श्री चान्धिओक, विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने 15 फरवरी 2007 के आदेश में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा

की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया है और दोहराया है कि केवल इसलिए कि उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है, उक्त निर्णय की योग्यता पर निष्कर्षों को मिटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सी.बी.आई. की इस आशंका को भी दोहराया कि याचिकाकर्ता सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में समर्थ हो सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता संभवतः सी.पी.ओ. की संतुष्टि पर सवाल नहीं उठा सकता है जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था कि पासपोर्ट वापस करना सार्वजनिक हित में नहीं है। वे बताते हैं कि याचिकाकर्ता का नाम तीसरी प्राथमिकी में लिया गया था, जबकि पहले की दो प्राथमिकियों में जांच पूरी नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इस स्तर पर उसके पासपोर्ट को जारी करने का आदेश देना उचित नहीं था। उनके अनुसार याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने के बजाय, इस न्यायालय को सीबीआई को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश देना चाहिए।

21. अंत में, श्री चान्धिओक ने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत उसके पासपोर्ट को लगातार जब्त करने के बारे में थी, तो न्यायालय उचित आदेश जारी कर सकता है जिसमें सी.पी.ओ. या अपीलीय प्राधिकरण को यह निर्धारित करने के लिए स्थिति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है

कि क्या याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को लगातार जब्त करना, परिस्थितियों में, कानूनी रूप से आवश्यक था।

क्या पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जा सकता है?

22. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में, स्वीकृत स्थिति यह है कि सी.पी.ओ. ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए 25 फरवरी 2008 का आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10(3)(ग) को लागू किया। तब तक अधिनियम की धारा 10क के तहत याचिकाकर्ता के पासपोर्ट का निलंबन जारी रखा गया था। 15 फरवरी 2007 के निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों ने सी.पी.ओ. के फैसले को काफी हद तक प्रभावित किया है। याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने वाली किसी अन्य स्वतंत्र सामग्री की जांच या उल्लेख उक्त आदेश में नहीं किया गया है।

23. ज़ब्त करने का एकमात्र कारण दिनांक 25 मार्च 2008 के आदेश के पैरा 9 और 10 में निहित है जो निम्नानुसार हैः

> "9. मेरी सुविचारित राय में, सी.बी.आई. द्वारा श्री सुरेश नंदा के खिलाफ दो प्राथमिकियों में लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक प्रकृति के हैं। मेरा मानना है कि श्री सुरेश नंदा की निरंतर उपस्थिति उनके खिलाफ आरोपों की निर्बाध जांच के लिए आवश्यक है।

> 10. 17.03.2008 को सुनवाई के दौरान श्री नंदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने और उनकी जांच करने के बाद, मेरे समक्ष दर्ज अभिलेखों पर विचार करने और मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद कि श्री सुरेश नंदा का पासपोर्ट जब्त करना व्यापक सार्वजनिक हित में होगा, मैं, आर स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.) और सी.पी.ओ, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुरेश नंदा का पासपोर्ट सं. एफ-5600903 (27.10.2013 तक वैध) को जब्त किया गया है।"

24. अपीलीय प्राधिकरण का 22 अगस्त 2008 का आदेश इससे बेहतर नहीं है। यह एक ऐसा आदेश है जिसमें अपील को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। उक्त आदेश के पैरा 11 में लिखा हैः

> "11. लिखित अपील की जांच करने और अपीलकर्ता और उसके दो आधिवाक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मौखिक दलीलों को सुनने/विचार करने के बाद, और मेरे समक्ष रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, मैं, शरत सभरवाल, विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 11 के तहत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे पासपोर्ट नियम 1980 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाता है, सी.पी.ओ. के आक्षेपित आदेश सं.VI/405/2/1 2008 दिनांक 25.03.2008 को बरकरार रखता है।

25. यदि कोई सी.पी.ओ. के 25 मार्च 2008 के आदेश के कारणों का विश्लेषण करता है, तो यह स्पष्ट है कि जिन कारकों ने सी.पी.ओ. को याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए प्रभावित किया है, वे हैं:

(क) यह कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दो प्राथमिकियों में सी.बी.आई. द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर और चिंताजनक प्रकृति के हैं;

(ख) आरोपों की निर्बाध जांच के लिए याचिकाकर्ता की निरंतर उपस्थिति आवश्यक है; और

(ग) मामले की समग्रता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त करना व्यापक लोक हित में होगा।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों प्राथमिकियों में आरोप गंभीर और चिंताजनक हैं। वे वास्तव में हैं। लेकिन जांच की आवश्यकता यह है कि क्या याचिकाकर्ता को उसके पासपोर्ट की वापसी लंबित आपराधिक मामलों में जांच की प्रगति में बाधा डालेगी। सी.पी.ओ. का आक्षेपित आदेश 25 फरवरी 2008 यानी दो साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था। इन दो वर्षों में सी.बी.आई. द्वारा मामले की जाँच में कुछ प्रगति जरूर हुई होगी। यह और बात है कि पहली दो प्राथमिकियों में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यद्यपि सी.बी.आई. द्वारा यह कहा गया है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जो एक पूरी तरह से अलग मामला है, जो तब प्रासंगिक हो सकता है जब याचिकाकर्ता आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करता है। जहाँ तक

वर्तमान याचिका का संबंध है, एकमात्र सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जांच पूरी होने तक जब्त रखने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि याचिकाकर्ता को छोड़कर, दोनों प्राथमिकियों में अन्य अभियुक्तों के पासपोर्ट जब्त नहीं किए गए हैं।

27. यह पता लगाने के लिए कि आदेश की प्रगति क्या थी, इस न्यायालय ने सी.बी.आई. के अधिवक्ता से यह बताने के लिए कहा कि क्या उसके द्वारा विदेश में कोई विशिष्ट सुराग प्राप्त किए गए थे, जो याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी किए जाने पर खतरे में पड़ सकते हैं। सी.बी.आई. के अधिवक्ता ने एक गोपनीय पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विदेशों में कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के साथ उसके द्वारा किए गए पत्राचार को दिखाया गया है। इंटरपोल यूके द्वारा एकत्र की गई ऐसी ही एक जानकारी में याचिकाकर्ता को ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया था, जबकि वास्तव में उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। श्री पाहवा के अनुसार, यह एक गंभीर मामला था और यदि याचिकाकर्ता ब्रिटेन लौट आया, जहां उसका स्थायी निवास था, तो उसके भारत नहीं लौटने की संभावना थी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना और भी गंभीर था। विभिन्न देशों को भेजे गए एल.आर. के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। इस बात की संभावना थी कि यदि याचिकाकर्ता को

पासपोर्ट वापस कर दिया जाता है, तो वह उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जो अभी विदेशों में अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं।

28. इस न्यायालय ने पाया कि सी.बी.आई. शायद इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख रही है कि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट लौटाना उसे विदेश यात्रा करने की अनुमति देने के समान नहीं है। विदेश यात्रा के लिए याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। वह संभवतः एक आवेदन दायर करके ऐसा करेगा। उस आवेदन में उसे उन स्थानों का उल्लेख करना होगा जहां वह यात्रा कर रहा है, उन स्थानों का पता जहां वह रहेगा और उसकी यात्रा की अवधि, उद्देश्य आदि बताना होगा। इसलिए, इस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता विदेश यात्रा की अनुमति लेते समय अपने आवेदन में क्या कहेगा। सी.बी.आई. जो अभियोजन एजेंसी है, को इस मामले में पूरा अधिकार होगा और इस तरह के आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसलिए, याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने की अनुमति देने का सवाल वास्तव में वर्तमान याचिका में विचार के लिए नहीं उठता है। प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने के निर्देश का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। इसका निर्णय विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) द्वारा किया जाएगा, जो

याचिकाकर्ता या सी.बी.आई. द्वारा उसके समक्ष बनाए गए मामले के आधार पर किया जाएगा।

29. जहाँ तक याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त रखने का सवाल है, यू.ओ.आई. का मामला वास्तव में सी.बी.आई. के मामले से अलग नहीं है। याचिकाकर्ता का पासपोर्ट अब साढ़े तीन साल से अधिक समय से प्रत्यर्थियों के पास उपलब्ध होने के बावजूद, पासपोर्ट को जब्त रखने के लिए जो औचित्य दिखाया जाना है, वह सामने नहीं आ रहा है। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 22 अगस्त 2008 को पारित आदेश में कोई कारण नहीं दिया गया है। किसी भी स्थिति में ज़ब्त करना अधिनियम की धारा 10(1)(ङ) के तहत नहीं है क्योंकि आपराधिक न्यायालय में अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। दोनों प्राथमिकियों में से किसी में भी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। उन दो प्राथमिकियों में भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

30. इस समय, यह न्यायालय पहले अधिनियम की धारा 10 और धारा 10क के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहेगा, जो इस प्रकार है:

> **"10. पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का फेरफार, परिबद्धकरण और प्रतिसंहरण**
>
> (1) पासपोर्ट प्राधिकरण, धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों या धारा 19 के तहत किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर अनुमोदन को बदल या रद्द कर

सकता है या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, उन शर्तों को बदल या रद्द कर सकता है (निर्धारित शर्तों के अलावा) जिनके अधीन पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किया गया है और उस उद्देश्य के लिए, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे समय के भीतर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज देने की आवश्यकता हो सकती है जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाए और धारक ऐसे नोटिस का पालन करेगा।

(2) पासपोर्ट प्राधिकरण, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक के आवेदन पर, और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की शर्तों (निर्धारित शर्तों के अलावा) को बदल या रद्द कर सकता है।

(3) पासपोर्ट प्राधिकरण किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त कर सकता है या जब्त करवा सकता है या रद्द कर सकता है,--

(क) यदि पासपोर्ट प्राधिकरण संतुष्ट है कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक के पास उसका गलत कब्जा है;

(ख) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज भौतिक जानकारी को छिपाकर या पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया थाः

बशर्ते कि यदि ऐसे पासपोर्ट का धारक दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करता है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण ऐसे अन्य पासपोर्ट को भी जब्त या रद्द कर देगा।

(ग) यदि पासपोर्ट प्राधिकरण भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है;

(घ) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक को, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी होने के बाद किसी भी समय, भारत की किसी अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो;

(ङ) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है;

(च) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है;

(छ) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का धारक उप-धारा (1) के तहत एक नोटिस का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें उसे इसे सौंपने की आवश्यकता है;

(ज) यदि यह पासपोर्ट प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाता है कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक की उपस्थिति के लिए वारंट या समन देना या गिरफ्तारी के लिए वारंट किसी अदालत द्वारा किसी भी कानून के तहत जारी किया गया है या यदि पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के धारक के भारत से प्रस्थान पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश किसी

ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया है और पासपोर्ट प्राधिकरण का समाधान हो गया है कि वारंट या समन देना इस तरह जारी किया गया है या ऐसा आदेश दिया गया है।

(4) पासपोर्ट प्राधिकरण धारक के आवेदन पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को भी रद्द कर सकता है।

(5) जहां पासपोर्ट प्राधिकरण उप-धारा (1) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर अनुमोदन को बदलने या रद्द करने या उसकी शर्तों में बदलाव करने का आदेश देता है या उप-धारा (3) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त करने या रद्द करने का आदेश देता है, तो वह ऐसा आदेश देने के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में दर्ज करेगा और पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक को उसकी एक प्रति की मांग पर प्रस्तुत करेगा, जब तक कि किसी भी मामले में पासपोर्ट प्राधिकरण की राय न हो कि वह भारत की संप्रभुता और अधाराता, भारत की सुरक्षा, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों या आम जनता के हित में ऐसी प्रति प्रस्तुत नहीं करेगा।

(6) जिस प्राधिकारी के अधीनस्थ पासपोर्ट प्राधिकरण है, वह लिखित आदेश द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को किसी भी आधार पर जब्त या रद्द कर सकता है, जिसके आधार पर उसे पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा जब्त या रद्द किया जा सकता है और इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे प्राधिकरण

द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त या रद्द करने के संबंध में लागू होंगे।

(7) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी अपराध के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक को दोषी ठहराने वाली अदालत भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को रद्द कर सकती हैः

बशर्ते कि यदि अपील पर या अन्यथा दोषसिद्धि रद्द कर दी जाती है तो निरसन शून्य हो जाएगा।

(8) पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय उप-धारा (7) के तहत प्रतिसंहरण का आदेश किसी अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।

(9) इस धारा के तहत किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को प्रतिसंहरण करने पर, उसके धारक को, बिना किसी देरी के, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को, यदि वह पहले से ही जब्त नहीं किया गया है, उस प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए, जिसके द्वारा उसे रद्द किया गया है, या ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जो प्रतिसंहरण के आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

"10क. कुछ मामलों में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों का निलंबन

(1) धारा 10 में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केंद्र सरकार या कोई नामित अधिकारी संतुष्ट है कि धारा 10 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त या रद्द किए जाने की

संभावना है और ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो वह यह कर सकता है -

(क) आदेश द्वारा, किसी भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें;

(ख) ऐसा अन्य उपयुक्त आदेश पारित करें जिसका प्रभाव किसी भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को अमान्य करने पर पड़ सकता है।

चार सप्ताह से अधिक की अवधि के लिएः

बशर्ते कि केंद्र सरकार या नामित अधिकारी, यदि वह उचित समझे, तो आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, चार सप्ताह की उक्त अवधि को धारा 10 के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के परिवर्तन, ज़ब्त करने या रद्द करने से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा सकता हैः

बशर्ते कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के प्रत्येक धारक, जिसके संबंध में इस उप-धारा के खंड (क) या खंड (ख) के तहत एक आदेश पारित किया गया था, को ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से आठ सप्ताह से अधिक की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार, यदि आवश्यक हो, तो लिखित आदेश द्वारा इस उप-धारा के तहत पारित आदेश को संशोधित या रद्द कर सकती है।

(2) नामित अधिकारी उप-धारा (1) के तहत पारित आदेशों को तुरंत हवाई अड्डे या आरोहण या अप्रवासन के किसी अन्य

स्थान पर संबंधित प्राधिकारी और पासपोर्ट प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश की प्राप्ति के तुरंत बाद, ऐसे आदेश को प्रभावी करेगा।"

31. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को निलंबित करने का आदेश सी.पी.ओ. द्वारा 30 जनवरी 2008 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2008 को पारित आदेश के तुरंत बाद किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी यू.ओ.आई. को याचिकाकर्ता को पासपोर्ट वापस करने के लिए कहा गया था, साथ ही अभियोजन एजेंसी यानी सी.बी.आई. को अनुमति दी गई थी कि यदि वे याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करना चाहते हैं तो वे पासपोर्ट अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 30 जनवरी 2008 का आदेश उस आदेश के लिए प्रारंभिक था जो अधिनियम की धारा 10(3) ग) के तहत पारित होने वाला था। धारा 10(3)(ग) के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि सी.पी.ओ. भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या आम जनता के हित में ज़ब्त करना आवश्यक समझे।" सी.पी.ओ. के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण दोनों के उपरोक्त आदेशों को पढ़ते हुए औचित्य यह है यह "आम जनता के हित में" है कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए। यह प्रावधान की भाषा का

पुनरुत्पादन मात्र है। यह कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। किसी भी स्थिति में, भले ही अधिकारी इस तरह के निर्णय पर तब भी पहुंच सकते थे जब यह पहली बार लिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

32. अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत शक्ति की प्रकृति से यह स्पष्ट है कि पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए जब्त नहीं किया जा सकता है। धारा 10 (3) (ग) को ***मेनका गांधी*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के लिए लिया गया था। वहीं न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (उस समय विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में) ने प्रमुख निर्णय देते हुए निम्नानुसार कहा (एस.सी.सी., पृष्ठ 313,316):

> "35. .....यह आवश्यक है कि ऐसे आदेश के संबंध में, धारा 10(3) (ग) में अभिव्यक्ति "आम जनता के हित" को पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों तक सीमित रहे। यदि धारा 10(3) (ग) के तहत दिया गया कोई आदेश बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, तो इसे व्यापक अर्थों में आम जनता के हित में नहीं, बल्कि अन्य तीन श्रेणियों, अर्थात् भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, भारत की सुरक्षा और किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में किया

जाना चाहिए। यदि आदेश को सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में नहीं दिखाया जा सकता है, तो यह न केवल अनुच्छेद 19(1) (क) का उल्लंघन करेगा, बल्कि धारा 10(3) (ग) द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के बाहर भी होगा।"

"38. .....संघ ने तर्क दिया कि हालांकि जिस अवधि के लिए आक्षेपित आदेश का संचालन किया जाना था-उसे कई शब्दों में निर्दिष्ट नहीं किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसका उद्देश्य जांच आयोग की अवधि के लिए सहवर्ती होना था, क्योंकि जब्त करने का कारण यह था कि जांच आयोग के समक्ष कार्यवाही के संबंध में याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता थी और जांच आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 1977 तक सीमित था, पासपोर्ट को जब्त करना उस तारीख से आगे जारी नहीं रह सकता था और इसलिए यह नहीं कहा जाएगा कि आक्षेपित आदेश अनिश्चित काल के लिए संचालित होना था।"

33. यह याद किया जा सकता है कि ***मेनका गांधी*** मामले में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया औचित्य यह था कि न्यायमूर्ति जे.सी. शाह सी.ओ.आई. के समक्ष कार्यवाही के संबंध में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। हालाँकि सी.ओ.आई. के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक समय-सीमा 31 दिसंबर 1977 निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा समय-सीमा को हमेशा बढ़ाया जा सकता था। कई सी.ओ.आई. के अनुभव से पता चला है कि शायद ही कोई सी.ओ.आई. मूल रूप

से निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट पूरी करने में समर्थ था। इस संदर्भ में यह देखा गया था (एससीसी,पृष्ठ.317):

> "जिस समय आक्षेपित आदेश दिया गया था, उस समय न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग की अवधि के संबंध में जो भी उम्मीद की जा सकती थी, अब यह स्पष्ट है कि उसके लिए 31 दिसंबर, 1977 तक अपना काम पूरा करना संभव नहीं था, जो मूल रूप से निर्धारित समय सीमा थी और वास्तव में इसका कार्यकाल मई 31, 1978 तक बढ़ा दिया गया है। **जिस अवधि के लिए पासपोर्ट जब्त किया गया है, उसे परिस्थितियों में निश्चित और अमुक नहीं कहा जा सकता है और यह अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। यह स्पष्ट रूप से आक्षेपित आदेश को अनुचित बना देगा** और इसलिए केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने एक बयान दिया कि यदि याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के निर्णय की पुष्टि की जाती है, तो "जब्त करने की अवधि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर लिए जाने वाले निर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी। "केंद्र सरकार के समक्ष निष्पक्षता से यह कहा जाना चाहिए कि इसे अपनाना एक बहुत ही उचित रुख था, क्योंकि कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के लिए न केवल संवैधानिक और कानूनी रूप से बल्कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रूप से भी कार्य करे। **हम आशा और विश्वास करते हैं**

कि भविष्य में भी जब भी धारा 10(3) (ग) के तहत किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, तो यह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए होगा जो अनुचित रूप से लम्बी नहीं होगी, भले ही किसी भी मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन शामिल न हो।"

(जोर दिया गया)

34. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने उसी निर्णय में न्यायमूर्ति भगवती के साथ सम्मत व्यक्त करते हुए कहा (एस.सी.सी. पृष्ठ.342):

"आक्षेपित विधान, विशेष रूप से धारा 5,6 और 10, को ऊपर उल्लिखित लोगों के लिए प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांतों पर अनुच्छेद 21 के तहत भी परीक्षण किया जाना चाहिए। सुनवाई अनिवार्य है-सार्थक सुनवाई, लचीला और यथार्थवादी, परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन कर्मकांडीय और भावशून्य नहीं। असाधारण मामलों और आपातकालीन स्थितियों में, सुनवाई शुरू होने से पहले पासपोर्टधारी के भागने की शरारत से बचने के लिए अंतरिम उपाय किए जा सकते हैं। "घोड़े के चोरी होने के बाद अस्तबल में ताला लगाना" प्राकृतिक न्याय का आदेश नहीं है। लेकिन अस्थायी जब्ती के तुरंत बाद, प्रक्रियात्मक पूर्वग्रह को कम करने के लिए एक उचित सुनवाई होनी चाहिए। और जब आवेदक या पासपोर्ट धारक के खिलाफ तत्पर अंतिम आदेश दिया जाता है, तो उन खतरनाक मामलों को छोड़कर, जहां राज्य को अपूरणीय क्षति होगी, कारणों का खुलासा लगभग हमेशा किया जाना चाहिए। जो सरकार लोगों की स्वतंत्रता के क्षेत्र में गोपनीयता का आनंद लेती है, वह न

केवल लोकतांत्रिक शालीनता के खिलाफ काम करती है, बल्कि खुद को दफनाने में भी व्यस्त रहती है। यही दीवार पर लिखी इबारत कि यदि इतिहास शिक्षक होता, स्मृति हमारी मार्गदर्शक होती और स्वतंत्रता का पतन हमारा अन्नेछिक प्रयास नहीं होता। सार्वजनिक शक्ति को शायद ही कभी एक खुले समाज और व्यवस्था में अपना दिल छिपाना चाहिए।"

"99. .....'सुरक्षा', 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'जनहित' और 'मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध' जैसी डरावनी अभिव्यक्तियों के संदर्भ में, हमें खुद को आगाह करना चाहिए कि संवैधानिक अनुदेशों और प्रतिबंधों के अन्वेषण और निर्णय में मौखिक लेबल नहीं बल्कि वास्तविक मूल्य शासी विचार हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन लोगों के मूल अधिकार बीतते दिन के राजनीतिक शासनों के वांछित मूल्यों के अधीन नहीं हो सकते हैं।"

35. उपरोक्त परिच्छेदों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत शक्ति का उपयोग यांत्रिक रूप से नहीं किया जाना है। संबंधित कारकों के लिए प्राधिकरण द्वारा दिमाग का उपयोग होना चाहिए जो इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाएगा कि पासपोर्ट को जब्त करना आम जनता के हित में है। और फिर, आपराधिक मामले के संदर्भ में, जिसकी अभी भी जांच चल रही है, यह एक समय पर बनाई गई राय नहीं हो सकती है। जांच के चरण के आधार पर जनहित तत्व अलग-अलग होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक

जांच पूरी नहीं होती, तब तक पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है। यह प्राधिकरण को बहुत व्यापक शक्ति देगा।

36. मान लीजिए कि किसी आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के पाँच साल बाद भी जाँच पूरी नहीं होती है। क्या इसका मतलब यह है कि पांच साल की इस अवधि के दौरान, जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक किसी अभियुक्त का पासपोर्ट जब्त रखना पड़ता है? यदि यह इरादा था, तो धारा 10 में एक और प्रावधान जोड़कर उद्देश्य पूरा हो जाता कि जब तक उस प्राथमिकी में जांच समाप्त नहीं होती, तब तक प्राथमिकी में नामित प्रत्येक अभियुक्त का पासपोर्ट स्वचालित रूप से जब्त हो जाएगा। इसके अलावा, जांच के परिणाम के आधार पर ऐसा पासपोर्ट जब्त रहेगा। हालाँकि, धारा 10(3) के तहत इतनी व्यापक शक्ति नहीं पाई जाती है। इसलिए, केवल यह कारण कि एक प्राथमिकी में आरोप गंभीर हैं, अपने आप में पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए जब्त करने को उचित नहीं ठहरा सकता है।

37. जहाँ आरोप गंभीर हैं, वहाँ यह तर्क देना संभव हो सकता है कि जाँच के प्रारंभिक चरणों में पासपोर्ट जब्त करना जनहित में होगा। वास्तव में वर्तमान मामले में यह एक ऐसा कारक था जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया क्योंकि प्राथमिकी अक्टूबर 2006 में दर्ज की गई थी और जब्त किए गए पासपोर्ट की वापसी कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2007 में मांगी गई थी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जांच की प्रगति की परवाह किए बिना आने वाले सभी समय के लिए पासपोर्ट जब्त रहेगा। यदि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है, या कोई ठोस प्रगति नहीं की है जिससे स्पष्ट रूप से अभियुक्त की सटीक भूमिकाओं का संकेत दिया जा सके, और इस बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वे जांच की आगे की प्रगति को कैसे बाधित कर सकते हैं, तो केवल इस आधार पर पासपोर्ट को जब्त करना संभव नहीं होगा कि मामले में आरोप गंभीर हैं। दूसरे शब्दों में, जांच की प्रगति और चरण एक प्रासंगिक कारक है जिस पर पासपोर्ट प्राधिकरण को विचार करना होगा जब उसे यह तय करने के लिए कहा जाएगा कि क्या एक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त का पासपोर्ट, जिसकी जांच चल रही है, को जब्त रखा जाना चाहिए या नहीं।

38. ***एम.ए. रशीद और अन्य बनाम केरल राज्य (1974) 2 एससीसी 687*** (एससीसी, पृष्ठ.690) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं:

> "10. व्यक्तिपरक शब्दों में भी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रशासनिक निर्णय प्रासंगिक विचारों पर सद्भावना से लिए जाने चाहिए। अदालतें यह पूछती हैं कि क्या एक तर्कसंगत व्यक्ति कानून या तथ्यों पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किए बिना प्रश्नगत निर्णय पर आ सकता था। जिस तर्कसंगतता के मानक का पालन करने के लिए प्रशासनिक निकाय की आवश्यकता होती

है, वह न्यायालय की उचित राय से लेकर एक उचित निकाय द्वारा तय की गई कसौटी तक हो सकता है। **न्यायालय यह पता लगाएँ कि क्या राय के गठन के लिए पूर्ववर्ती स्थितियों का एक तथ्यात्मक आधार है।"**

(जोर दिया गया)

39. भारतीय नट प्रोडक्ट्स बनाम भारतीय संघ (1994) 4 एससीसी 269 में, यह अभिनिर्धारित किया गया (एससीसी, पृष्ठ.274):

"10. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी कानून में शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जब ऐसा प्राधिकरण संतुष्ट होता है कि उस शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तें मौजूद हैं, तो संतुष्टि अधिनियम में उल्लिखित आधारों के अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। आधार प्रसांगिक सामग्री के आधार पर बनाए जाने चाहिए। यदि **शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तों के अस्तित्व को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय यह जांचने की हकदार है कि क्या आदेश दिए जाने के समय वे शर्तें मौजूद थीं। इस तरह की कार्रवाई से व्यथित व्यक्ति यह दिखाकर संतुष्टि पर सवाल उठा सकता है कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक आधारों पर आधारित था और इसलिए इसमें कोई संतुष्टि नहीं थी। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन परिस्थितियों का अस्तित्व न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।**

40. पासपोर्ट अधिनियम के संदर्भ में, ***आदित्य खन्ना बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट प्राधिकरण*** **156(2009) डी.एल.टी. 172** मामले में, इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं (डी.एल.टी., पृष्ठ 175):

> "55. वैधानिक चिरभोग द्वारा, रद्द करने या जब्त करने के लिए आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक पासपोर्ट को निलंबित करने की शक्ति अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की वैधानिक मान्यता में प्रदान की गई थी, जो कि असाधारण परिस्थिति या आवेगपूर्ण आवश्यकता है जो अनिवार्य कार्रवाई को आवश्यक बना सकती है यदि नामित अधिकारी संतुष्ट है कि धारा 10(3) (ग) के तहत पासपोर्ट को जब्त या रद्द किए जाने की संभावना है और सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।"

41. ***सुमन सहगल बनाम भारतीय संघ और अन्य*** में ए.आई.आर. 2006 दि. 216 पैरा 37 में निम्नानुसार देखा गया:

> "37. आक्षेपित आदेश किसी भी समय सीमा का संकेत नहीं देता है जिसके भीतर याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने *अब्दुल कादर* के मामले में अपने निर्णय में कहा था कि समान परिस्थितियों में पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता है क्योंकि इससे नागरिक के विदेश यात्रा करने और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, प्रत्यर्थियों को पूरे मुद्दे की

समीक्षा करनी चाहिए और याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश के जारी होने की तारीख अर्थात्, 10.2.2006 से चार महीने की अवधि के भीतर विशिष्ट आदेश पारित करना चाहिए।"

42. उपरोक्त निर्णयों का अनुपात यह है कि आपराधिक जांच का सामना कर रहे व्यक्ति के अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत पासपोर्ट को जब्त करना अनिश्चित काल के लिए या खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, उपरोक्त निर्णयों में वर्णित कानून के अनुरूप, पासपोर्ट को जब्त रखने की शक्ति का उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए और यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सी.पी.ओ. द्वारा धारा 10(3) (ग) के संदर्भ में पारित आदेश में कुछ समय-सीमा का संकेत दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के संदर्भ में पासपोर्ट को जब्त करते समय, सीपीओ को उस समय का संकेत देना होगा जब तक पासपोर्ट को जब्त रखा जाएगा। इसमें आगे यह संकेत दिया जाएगा कि यदि पासपोर्ट को उस तारीख के बाद जब्त करने का प्रस्ताव है, तो सी.पी.ओ. द्वारा मामले की स्थिति की समीक्षा उस तारीख से कम से कम 15 दिन पहले की जाएगी जिस दिन जब्त करने का आदेश समाप्त होना है। इससे कुछ हद तक यह आश्वासन मिलेगा कि अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत शक्ति का

उपयोग यांत्रिक रूप से नहीं किया जा रहा है और प्राधिकरण पासपोर्ट को जब्त रखने का निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक सामग्री पर विचार करेगा।

43. वर्तमान मामले में भी, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 15 फरवरी 2007 को पारित आदेश में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मामला अभी भी जांच के प्रारंभिक चरण में था। प्राथमिकी दर्ज हुए अभी तीन महीने भी नहीं बीत चुके थे। इसलिए, यह महसूस किया गया कि पासपोर्ट जारी करने का आदेश पारित करना जल्दबाजी होगी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश के अंतिम पैरा में, फिर भी कहा कि यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो याचिकाकर्ता "एक उचित आदेश की मांग कर सकता है।"

44. प्रत्यर्थियों की इस दलील से सहमत होना संभव नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी 2007 के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के बाद भी, योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को मिटाया नहीं गया था और याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को अनिश्चित काल के लिए जब्त रखने के अपने फैसले को सही ठहराने के लिए पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा उन पर भरोसा किया जा सकता था। एक बार उच्च न्यायालय के 15 फरवरी 2007 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिए जाने के बाद, प्रत्यर्थियों के लिए इसमें की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना जारी रखना व्यर्थ होगा। जैसा भी हो, अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत शक्ति की

प्रकृति को देखते हुए, स्थिति की आवधिक समीक्षा अपरिहार्य है। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि जब ज़ब्त करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, यानी 25 फरवरी 2008 को यह जनहित में था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मार्च 2010 तक भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मध्यावधि में क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या जब्ती के इस आदेश को जारी रखने की आवश्यकता है, किस कारण से और कितने समय तक? यदि अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के तहत शक्ति के प्रयोग पर ये प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, तो यह शक्ति को मनमाना और अनुचित नहीं बनाएगा और असंवैधानिक होने के कारण उस पर हमला किया जा सकता है।

निष्कर्ष और निर्देश

45. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि प्रत्यर्थी पासपोर्ट अधिकारियों के लिए स्थिति की समीक्षा करना और यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त रहना चाहिए जारी रहना चाहिए या नहीं। श्री चान्धिओक, विद्वान अतितिक्त सोलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा कि प्रत्यर्थी उस अभ्यास को पूरा करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी समय-सारणी का पालन करने के इच्छुक होंगे।

46. श्री कौल ने अपनी ओर से निर्देश पर न्यायालय को सूचित किया कि कार्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है और याचिकाकर्ता इस बात पर जोर नहीं देगा कि इसे पहले सी.पी.ओ. द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसे अधिनियम की धारा 11 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार मिल सकता है। वह चाहते थे कि अपीलीय प्राधिकरण यानी विशेष सचिव (एडी और कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा), विदेश मंत्रालय इस न्यायालय द्वारा मामले को उसके पास भेजने के मुद्दे का फैसला करे।

47. उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण यानी विशेष सचिव (एडी और कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा), विदेश मंत्रालय को इस न्यायालय द्वारा 15 फरवरी 2007 की आ.पुन.या. सं.49/2007 के आदेश में या सर्वोच्च न्यायालय के 24 जनवरी 2008 की आ.या. सं. 179/2008 के आदेश में (जो आदेश किसी भी स्थिति में यह स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर कोई राय व्यक्त नहीं करता है) या सी.पी.ओ. द्वारा पारित 30 जनवरी 2008 और 25 मार्च 2008 के पूर्व आदेश, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 22 अगस्त 2008 का आदेश या वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर की गई कोई भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश देता है। अपीलीय प्राधिकरण वर्तमान आदेश में उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर ध्यान देगा और यह

निर्धारित करने में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रासंगिक कारकों पर अपना ध्यान लगाएगा कि क्या याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करना अधिनियम की धारा 10(3) (ग) के संदर्भ में सार्वजनिक हित में है।

48. याचिकाकर्ता 10 मार्च 2010 को सुबह 11.00 बजे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह प्रस्तुतीकरण का एक लिखित नोट दाखिल करे और कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे जिसे वह इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मानता है। सी.बी.आई. और यू.ओ.आई. एक ही तारीख को अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से पेश हो सकते हैं। पक्षकारों को सुनने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण उसके बाद तीन सप्ताह की अवधि के भीतर और किसी भी स्थिति में 31 मार्च 2010 को या उससे पहले अपना निर्णय देगा। उसके बाद एक सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके अधिवक्ता को भेजी जाएगी।

49. यदि याचिकाकर्ता अभी भी आदेश से व्यथित है, तो याचिकाकर्ता के लिए इस रिट याचिका में ही एक उचित आवेदन दायर करने का अधिकार होगा।

50. इस रिट याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2010 को सूचीबद्ध करें।

51. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को दस्ती देने का आदेश दिया जाए। इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।

एस. मुरलिधर, न्यायाधीश

05 मार्च, 2010

आर के

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*